राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1391/2025

अभय सिंह यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. उपायुक्त एवं संयुक्त सचिव, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अधीक्षक अधिकारी, जिला परिषद अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.01.2025
आदेश की दिनांक : 20.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.के. गौतम एंव हरि प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री राधिका महरवाल, कैवियटर

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती दी है जिसके द्वारा अतिरिक्त/सहायक विकास अधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया था, उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रमांक 44 है, और आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा अपीलार्थी को पंचायत समिति नीमराणा, अलवर से जिला परिषद धौलपुर में स्थानांतरित किया गया था। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी वर्ष 1999 में ग्राम सेवक/सचिव के पद पर चयनित एवं नियुक्त हुआ तथा पंचायत समिति बहरोड़ में पदस्थापित हुआ, तत्पश्चात वर्ष 2018 में ग्राम सेवक/सचिव का पद परिवर्तित कर ग्राम विकास अधिकारी के नाम से पदस्थापित हुआ। वर्ष 2008 में उसका स्थानांतरण होकर पंचायत समिति नीमराणा में पदस्थापित हुआ तथा तत्पश्चात वर्ष 2022 में

आदेश दिनांक 18.04.2022 द्वारा अपीलार्थी को सहायक विकास अधिकारी (संक्षेप में एडीओ) के पद पर पदोन्नत कर पंचायत समिति नीमराणा में पदस्थापित किया गया, तब से वह उपरोक्त स्थान पर अपनी सेवाएं दे रहा है। (अनुलग्नक–2) बहरोड़ मंडल के भाजपा मंडल अध्यक्ष ने दिनांक 12.01.2025 को राजस्थान राज्य के पंचायती राज विभाग के मंत्री को अपीलार्थी द्वारा भाजपा पाटी के खिलाफ कार्यवाही करने कारण अपीलार्थी का स्थानांतरण करने के लिए एक पत्र लिखा था। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी के बच्चो की पढ़ाई लगातार चल रही है आरै सत्र के मध्य में अपीलार्थी का स्थानान्तरण हो गया। अपीलार्थी स्वयं भी कई बीमारियों से ग्रसित है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान कार्यरत स्थान से लगभग 275 किमी दूर किया गया है, जिसके कारण परिवार को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एंव अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात पंचायत समिति नीमराणा, जिला अलवर से सभी परिणामी लाभों के साथ कार्यरत रखे जाने के निर्देश दिए जावे।

हमने उभय पक्षों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती दी है। जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति नीमाराणा (अलवर) से जिला परिषद धौलपुर में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को जिला अलवर में बताकर आदेश जारी किया गया है। जबकि पंचायत समिति नीमराणा जिला कोटपुतली बहरोड़ में आती है। लिहाजा यह बिना मस्तिष्क के प्रयोग किए यह आदेश जारी किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी ग्राम विकास अधिकारी से सहायक विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नत हुआ है। (अनुलग्नक–2) उसको पदोन्नति के बाद पंचायत समिति नीमराणा में ही कार्यग्रहण करवाया गया है। अतः अपीलार्थी के संबंध में जिला परिषद ही स्थानान्तरण आदेश जारी किए जाने के लिए सक्षम अधिकारी है। उनका यह भी कथन है कि आलौच्य आदेश राजनीतिक प्रभाव से जारी किया गया है। (अनुलग्नक–3) अतः आलौच्य आदेश निरस्त कर अपीलार्थी को पंचायत समिति नीमराणा में ही पदस्थापित रखे जाने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। जिसके स्थानान्तरण किए जाने हेतु राज्य सरकार सक्षम है। आलौच्य आदेश प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत जारी किया गया है और आलौच्य आदेश में टंकण त्रुटि से जिला अलवर अंकित हो गया है। इससे स्थानान्तरण आदेश पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है।

हम यह पाते है कि अपीलार्थी सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत होने से राज्य सरकार स्थानान्तरण करने के लिए सक्षम है। साथ ही आलौच्य आदेश में पंचायत

समिति नीमराणा स्पष्ट रूप से अंकित है जहां अपीलार्थी वर्तमान में पदस्थापित है। टंकण त्रुटि से अलवर लिखा जाने से कोई संशय की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। जहां तक स्थानान्तरण आदेश राजनीतिक दखल से किए जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत भारतीय जनता पार्टी मंडल माजरी कलां नीमराणा के अध्यक्ष का पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत होने के आधार पर स्थानान्तरण किया जाने का, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। लिहाजा हम यह पाते है कि आलौच्य आदेश विधिक त्रुटि या अनियमितता नहीं है।

अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर निस्तारित किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)